



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122021-231959  
CG-DL-E-17122021-231959

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 706]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2021/अग्रहायण 26, 1943

No. 706]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021/AGRAHAYANA 26, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

सं. 71/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 865(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “सोडियम हाइड्रोसल्फाइड” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 2831 और 2832 के अंतर्गत आती हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/35/2020-डीजीटीआर, दिनांक 14 सितम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि विषयगत देश से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण यहां के घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जरूरी है और उन्होंने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त

निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है पर, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

### सारणी

क्र.सं.	शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2831 और 2832	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	कोई भी	440	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
2	2831 और 2832	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड	चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	440	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
3	2831 और 2832	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	कोई भी	300	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
4	2831 और 2832	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड	चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	300	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

**स्पष्टीकरण** – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनियम दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की

गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/242/2021-टीओ (टीआरयू-1) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवसर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2021

**No. 71/2021-Customs (ADD)**

**G.S.R. 865(E).**—Whereas, in the matter of “Sodium Hydrosulphite” (hereinafter referred to as the subject goods), falling under headings 2831 and 2832 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from the People’s Republic of China and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 6/35/2020-DGTR, dated the 14<sup>th</sup> September, 2021, has come to the conclusion that imposition of anti-dumping duty is required to offset the injury to the domestic industry caused by the dumped imports of subject goods from the subject country and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country and imported into India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the Heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (8) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely :-

**TABLE**

Sl.No.	Heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Currency	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2831 and 2832	Sodium Hydrosulphite	China PR	Any country including China PR	Any	440	USD	MT
2	2831 and 2832	Sodium Hydrosulphite	Any country other than China PR and Korea RP	China PR	Any	440	USD	MT
3	2831 and 2832	Sodium Hydrosulphite	Korea RP	Any country including Korea RP	Any	300	USD	MT

4	2831 and 2832	Sodium Hydrosulphite	Any country other than China PR and Korea RP	Korea RP	Any	300	USD	MT
---	------------------	-------------------------	---	----------	-----	-----	-----	----

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

**Explanation.-** For the purposes of this notification, the rate of exchange applicable for the calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/242/2021-TO(TRU-1)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.